Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013
(PHALGUNA 3, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2013

No. 1—HLA of 2013/4.—The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 1—HLA of 2013

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2013. Short title

2. In sub-section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986,— Amendment of section 5 of Haryana Act 6 of 1986.

(i) *for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;*

(ii) the following proviso shall be added at the end, namely :—

"Provided further that with effect from 1st September, 2012,

the rate of fee on vegetables and fruits only, as mentioned in Schedule under clause (b) of rule 2 of the Haryana Rural Development Rules, 1987, shall be one per centum.".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Rural Development (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 2 of 2013), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to give relief to the vegetables and fruits growers and the public, the State Government proposes to reduce the rural development fee on all vegetables and fruits from 2% to 1% w.e.f. 1-9-2012.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 22nd February, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 1-एच० एल० ए०

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. *यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।*

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, की धारा 5 की उप-धारा (1) में,—

(i) अन्त में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, " : " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि प्रथम सितम्बर, 2012 से, केवल सब्जियों तथा फल जो हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथा वर्णित हैं, पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

फलों तथा सब्जियों के उत्पादकों तथा जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार फलों और सब्जियों पर दिनांक 1-9-2012 से ग्रामीण विकास शुल्क को 2 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
22 फरवरी, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

50834—H.V.S.—H.G.P., Chd.